



Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांक:—आरएसएमएमएल / सीओ / पर्स / 19(37) / 2022—304 दिनांक:—29-08-2023

आरएसएमएमएल कोरोना सहायता योजना

दिशा—निर्देश

कोरोना वैश्विक महामारी से पीड़ित कर्मचारियों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि देय होगी जिसके दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं—

1. योजना का उद्देश्य:—

कोरोना महामारी से कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सबल प्रदान करना है।

2. योजना का विस्तार:—

यह योजना आरएसएमएमएल के सभी कार्मिक एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक पर लागू होगी परन्तु निम्नानुसार कार्मिकों पर लागू नहीं होगी:—

अ. कैज्यूअल / अस्थाई / दैनिक मजदूर

ब. प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु

स. संविदा कर्मचारी

3. प्रयोज्यता / लागू होने की तिथि:—

अनुग्रह राशि देश में प्रथम कोविड-19 केस आने की दिनांक से कोविड-19 के आपदा के रूप में **de-notification** अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के मध्य हुई कोविड-19 मृत्युओं के संबंध में देय होगी।

4. परिभाषा:

कोविड-19 के कारण मृत्यु का तात्पर्य 01 मार्च, 2020 के पश्चात् कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु से है एवं जिसे जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया है। अनाथ बालक / बालिका से तात्पर्य ऐसे बालक / बालिका से हैं जिनके:—

अ. जैविक / दत्तक ग्राही माता—पिता (दोनों) की कोरोना से के कारण मृत्यु हुई है

या

ब. माता / पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है।

5. पात्रता:-

कोरोना बीमारी से मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य जो कि भविष्य निधि एवं ग्रेज्युटी के भुगतान हेतु नामित किये गए हो, सहायता के पात्र होंगे।

6. प्राधिकृत अधिकारी:-

कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु का प्रमाणन करने एवं अनुदान राशि स्वीकृती के संबंध में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

7. अनुदान/आर्थिक सहायता:-

योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले मृतक कर्मचारी के आश्रित सदस्य जिसने की आवेदन किया है, को राशि रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) एकमुश्त अनुदान Ex-gratia दिया जाएगा। प्रत्येक अनाथ बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि रुपये 2500/- (दो हजार पांच सौ रुपये) प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका प्रदान किये जायेगे। प्रत्येक अनाथ बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर राशि रुपये 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) की एकमुश्त सहायता दी जावेगी।

8. अनुदान स्वीकृति प्रक्रिया:-


कर्मचारी के परिवार/आश्रित को संबंधित नियंत्रण अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रमुख एवं प्रभारी एसबीयू एण्ड पीसी के समक्ष निर्धारित आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेजों के साथ मृत्यु दिनांक से 90 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा अथवा पूर्व में इस कारण जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इनके आश्रित इस संबंध में परिपत्र जारी होने के 90 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें। इस संबंध में बिन्दु संख्या 3 के अनुसार शिथिलता प्रदान की जा सकती है। संस्थान के चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से आवेदन की जाँच करने के उपरान्त अधिकृत अधिकारी अपनी अनुशंषा के साथ कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), उदयपुर के कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

आवेदन पत्र मय संबंधित दस्तावेजों एवं अधिकृत अधिकारी की अनुशंषा के साथ निम्न सदस्यों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा:-

1. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)।
2. वित्तीय सलाहकार।
3. चिकित्सा अधिकारी।
4. संयुक्त विधि परामर्शी।

उक्त समिति अपनी अनुशंषा प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत करेगी तथा प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति के आधार पर आश्रित सदस्य को भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा, जहाँ पर मृतक कर्मचारी अंतिम समय में कार्यरत था।

संलग्न:- आवेदन पत्र।


(संदेश नायक)
प्रबन्ध निदेशक, IAS
Managing Director
Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.
Udaipur (Raj.)

कम्पनी के कोराना महामारियों से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को
आरएसएमएमएल कोरोना सहायता योजना के अन्तर्गत लाभ दिलाने हेतु
आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड,
4, मीरा मार्ग, उदयपुर।

द्वारा
(विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जहां मृतक कर्मचारी मृत्यु से पूर्व नियुक्त था)

1. मृतक कर्मचारी का नाम, पद व कर्मचारी सं.
2. विभाग/कार्यालय का नाम जिसमें वह मृत्यु
से पूर्व कार्यरत था/थी।
3. कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक व स्थान
4. कम्पनी की सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि
5. मृतक कर्मचारी की जन्म तिथि एवं मृत्यु
के समय आयु।
6. मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का विवरण जो कि भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी
के भुगतान हेतु नामित किये गए हो।

नाम सदस्य	आयु	मृतक से संबंध	शिक्षा	विवाहित/ अविवाहित	अन्य विवरण

योजना अन्तर्गत लाभ हेतु आवेदन करने वाले मृतक कर्मचारी के आश्रित (आवेदक) का विवरण

1. आवेदक आश्रित का नाम
2. निवास व उसका पता
3. आवेदक की जन्म तिथि व आयु
4. आवेदक का आधार नम्बर/पेन नम्बर
5. बैंक का नाम
6. खाता संख्या
7. आईएफएससी कोड.....
8. अनाथ बालक/बालिको के प्रकरण में राशि का भुगतान पालनकर्ता एवं बच्चों के संयुक्त बैंक खाते में किया जाएगा।

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं
..... सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र की कॉलम संख्या 1 से अन्त तक मेरे/मेरी निजी ज्ञान से सही एवं सत्य है इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

दिनांक.....

संलग्न दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है:-

1. मृत्यु प्रमाण-पत्र।
2. आरटीपीसीआर रिपोर्ट।
3. सीटी स्केन रिपोर्ट।
4. चिकित्सा प्रमाण-पत्र।
5. अन्य आश्रित सदस्यों का सहमति पत्र।
6. अन्य वांछित दस्तावेज जो कि अधिकृत अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी द्वारा वांछनीय हो।